

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य एवं विस्तृत आख्या

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

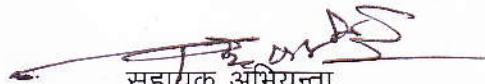
जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गढ़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी०

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गढ़ाकोट तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) के निर्माण के लिये शासनादेश संख्या 549/।।।(2)/14-49(प्रा०आ०)/2013 दिनांक 29.01.2014 द्वारा लम्बाई 8 किमी० हेतु लागत रु० 67.44 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, जिसकी छाया प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु संरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वॉ वृत्त लो० नि० वि० नई टिहरी के पत्रांक 869/734 याता-8/2014-15 दिनांक 16.02.2015 द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित संरेखण पर मार्ग की कुल 8 कि०मी० लम्बाई में 750.00 मीटर लम्बाई में आरक्षित वन भूमि 0.675 हे०, 1060.00 मीटर लम्बाई में सिविल वन भूमि 0.954 हे० तथा शेष भाग 6190.00 मीटर लम्बाई में नाप भूमि 5.571 हे० पडती है। आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का 9.00 मी० चौड़ाई में कुल क्षेत्रफल 1.629 हे० है। मार्ग का प्रारम्भिक स्थान टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग प्रमुख जिला मोटर मार्ग के स्थान आमणी बाजार से आगे देवप्रयाग की ओर किमी० 54 हे०मी० 4-6 है। अन्यत्र उचित प्रारम्भिक स्थल व अन्य कोई वैकल्पिक भूमि न मिल पाने के कारण चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। मार्ग का संयुक्त निरीक्षण लो०नि०वि० विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग द्वारा किये जाने के उपरान्त ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित है।



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर



अधिष्ठासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर